न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :— सत्य नारायण—I (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :— 105/2023	जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2023/304
दायर दिनांक :— 30.06.2023	निर्णय दिनांक :— 02.01.2026

1. सुनिल कुमार पुत्र लालचंद जाति जाट निवासी चक 5 पी.पी.बी. तहसील पदमपुर जिला गंगानगर

—प्रार्थी

बनाम

1. भजनाराम पुत्र हरिंगाराम जाति विश्नोई निवासीयान खिदरत तहसील बाप जिला फलोदी
2. हरिंगाराम पुत्र रूगाराम—फौत—विलोपित जाति विश्नोई निवासीयान खिदरत तहसील बाप जिला फलोदी
3. मोहनराम पुत्र हरिंगाराम जाति विश्नोई निवासीयान खिदरत तहसील बाप जिला फलोदी
4. हंसराज उर्फ बुधाराम पुत्र बिड़दाराम जाति विश्नोई निवासीयान खिदरत तहसील बाप जिला फलोदी
5. हड़मानराम पुत्र धूड़ाराम जाति विश्नोई निवासीयान खिदरत तहसील बाप जिला फलोदी
6. जेती पत्नि बाबुराम जाति विश्नोई निवासीयान खिदरत तहसील बाप जिला फलोदी
7. रामी पत्नि खानुराम जाति विश्नोई निवासीयान खिदरत तहसील बाप जिला फलोदी
8. अर्जुनराम पुत्र भरमलराम जाति विश्नोई निवासीयान खिदरत तहसील बाप जिला फलोदी
9. किशनाराम पुत्र भरमलराम जाति विश्नोई निवासीयान खिदरत तहसील बाप जिला फलोदी
10. भंवरलाल पुत्र भरमलराम जाति विश्नोई निवासीयान खिदरत तहसील बाप जिला फलोदी
11. रामकरण पुत्र भरमलराम जाति विश्नोई निवासीयान खिदरत तहसील बाप जिला फलोदी
12. अनिता पत्नि लक्ष्मणसिंह जाति विश्नोई निवासीयान खिदरत तहसील बाप जिला फलोदी
13. फरसाराम पुत्र हड़मानराम जाति विश्नोई निवासीयान खिदरत तहसील बाप जिला फलोदी
14. हेतराम पुत्र हड़मानराम जाति विश्नोई निवासीयान खिदरत तहसील बाप जिला फलोदी
15. मनोरी पत्नि हड़मानराम जाति विश्नोई निवासीयान खिदरत तहसील बाप जिला फलोदी
16. शोभा देवी पत्नि नारायणराम जाति विश्नोई निवासीयान खिदरत तहसील बाप जिला फलोदी
17. रामरखराम पुत्र लूणाराम जाति विश्नोई निवासीयान खिदरत तहसील बाप जिला फलोदी
18. मोहनाराम पुत्र लूणाराम जाति विश्नोई निवासीयान खिदरत तहसील बाप जिला फलोदी
19. बृज लाल पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी चक 5 पी.पी.बी. तहसील पदमपुर जिला गंगानगर (राज.)

Satya...

उप खण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

20. विद्या पुत्री बीरबलराम जाति जाट निवासी चक 5 पी.पी.वी. तहसील पदमपुर जिला गंगानगर (राज.)

21. महोन्दर पुत्री बीरबलराम जाति जाट निवासी चक 5 पी.पी.वी. तहसील पदमपुर जिला गंगानगर (राज.)

22. शांति देवी पुत्री बीरबलराम जाति जाट निवासी चक 5 पी.पी.वी. तहसील पदमपुर जिला गंगानगर (राज.)

23. जड़िया देवी पत्नि बीरबलराम जाति जाट निवासी चक 5 पी.पी.वी. तहसील पदमपुर जिला गंगानगर (राज.)

24. सहदेव पुत्र लालचंद जाति जाट निवासी चक 5 पी.पी.वी. तहसील पदमपुर जिला गंगानगर (राज.)

25. रमन कुमारी पुत्री लालचंद जाति जाट निवासी चक 5 पी.पी.वी. तहसील पदमपुर जिला गंगानगर (राज.)

26. पुष्पा जांदू पुत्री लालचंद जाति जाट निवासी चक 5 पी.पी.बी. तहसील पदमपुर जिला गंगानगर (राज.)

27. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

—अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :— 1. श्री मदनसिंह भाटी अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री सुभाष विश्नोई अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 3 ता 5
3. श्री नारायणसिंह भाटी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 20 ता 26
4. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

—:: निर्णय ::—

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि सरहद ग्राम खिदरत पटवार क्षेत्र कानसिंह की सिड तहसील बाप जिला जोधपुर (राज.) में प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 24 ता 26 के दादा, अप्रार्थीया संख्या 23 के ससुर व अप्रार्थीगण संख्या 19 ता 22 के पिता बीरबलराम पुत्र हरजी राम के नाम की खातेदारी अधिकारो की भूमि खेत खसरा नम्बर 100 रकबा 8.7736 हैक्टेयर (54—00 बीघा) व खसरा नम्बर 98/1 रकबा 7.4462 हैक्टेयर (46—00 बीघा) भूमि स्थित है। जमाबंदी व भू—नक्शा की वर्तमान प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। ग्राम खिदरत पटवार क्षेत्र कानसिंह की सिड के खेत खसरा नम्बर 100 रकबा 8.7736 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 98/1 रकबा 7.4462 हैक्टेयर भूमि

Satya..
उप खण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 24 ता 26 के दादा, अप्रार्थीया संख्या 23 के ससुर व अप्रार्थीगण संख्या 19 ता 22 के पिता बीरबलराम पुत्र हरजी राम के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। बीरबलराम दिनांक 17.07.2022 को फौत हो चूके है। बीरबलराम के पुत्र लालचंद का भी दिनांक 26.07.2022 को देहांत हो चूका है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 19 ता 26 ही बीरबलराम व लालचंद के विधिक उतरजीवी है। इसलिए प्रार्थी अपनी उपरोक्त संयुक्त खातेदारी अधिकारों की भूमि की पत्थरगढी करवाने का कानुनन अधिकारी है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 19 ता 26 के संयुक्त पैतृक खातेदारी अधिकारों की उक्त खसरान् की भूमि के पैमाईश आवेदन पर तहसीलदार साहब (भू.अ.) बाप ने कमांक/भू.अ./2022/292 दिनांक 22.04.2022 को उक्त भूमि की पैमाईश करने के आदेश पटवारी हल्का को दिये। पटवारी हल्का उक्त आदेश की पालना में दिनांक 23.04.2022 द्वारा मौका पर पंहुच कर पैमाईश कर मौका पर तत्कालीन खातेदार बीरबलराम, पडौसी खातेदारान् व मौतबिरान के समक्ष सीमाज्ञान करवाया जाकर फर्द पैमाईश तैयार की गई। फर्द मौका की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। दिनांक 23.04.2022 को हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थी के संयुक्त पैतृक खातेदारी अधिकारों की भूमि के उक्त खसरान् की पैमाईश कर कायम किये गये सीमा चिन्हो व मौका फर्द के अनुसार प्रार्थी द्वारा वर्षा ऋतु के मध्यनजर अपने उक्त खसरान् की सीमाओं पर फसल, घास, पाला आदि की सुरक्षा के लिए पत्थर की पट्टिया रोपकर बाड़, तारबंदी इत्यादि करना शुरू करने पर पडौसी खातेदारान् व्यवधान पैदा कर प्रार्थी को तारबंदी नही करने दे रहे है। प्रार्थी की उक्त भूमि की बाड़, तारबंदी नहीं हो पाने से प्रार्थी अपनी फसल, घास, पाला इत्यादि की सुरक्षा पत्थर की पट्टिया रोपकर तारबंदी, जाली नहीं कर पाने से प्रार्थी को अत्यधिक आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रार्थी अपनी उक्त भूमि की मौका फर्द 23.04.2022 के माफिक सीमा पर पत्थरगढ़ी करवाने का कानूनन अधिकारी है, जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है। अप्रार्थीगण संख्या 19 ता 22 बीरबलराम व अप्रार्थीगण संख्या 23 ता 26 लालचंद के विधिक उतरजीवी होने से प्रार्थना पत्र में प्रोफोर्मा पक्षकार बनाकर प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी ओर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक के नोटिस से तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 27 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 27 पैरोकार सरकार ने जवाब में बताया कि ग्राम खिदरत पटवार हल्का कानसिंह की सिड तहसील बाप के खसरा नम्बर 100 रकबा 8.7736 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 98/1 रकबा 7.4463 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी की हद में पैमाईष फर्द दिनांक 23.04.2022 के अनुसार प्रार्थी और अप्रार्थीगण को सूचित करते हुए पत्थरगढी किया जाना उचित है। अप्रार्थी संख्या 1, 3 ता 5 की और से अधिवक्ता श्री सुभाष विश्नोई ने वकालतनामा व जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 20 ता 26 की और से अधिवक्ता श्री नारायणसिंह भाटी ने वकालतनामा व इकबालिया जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। शेष अप्रार्थीगण

Satye..
उप खण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली बहस में रखी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 100 रकबा 8.7736 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 98/1 रकबा 7.4462 हैक्टेयर सरहद मौजा खिदरत पटवार हल्का कानसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 24 ता 26 का कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है उक्त भूमि के चारों ओर तारबंदी नहीं होने की वजह से प्रार्थी द्वारा की जा रही काश्त को आवारा पशुओं द्वारा नष्ट किया जा रहा है जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। इसलिये उक्त भूमि की मुस्तकिल बिन्दु से पुनः पैमाईश कर पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी 1, 3 ता 5 ने जवाब प्रार्थना पत्र के वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि सीमाज्ञान में मौका फर्द दिनांक 23.04.2022 में हल्का पटवारी द्वारा कोई स्पष्ट रकबे का उल्लेख नहीं किया है और न ही ये लिखा है कि किसी पड़ोसी खातेदार द्वारा प्रार्थी की भूमि पर निश्चित रकबा पर अतिक्रमण है या प्रार्थी की भूमि कम इस प्रकार का कोई उल्लेख मौका फर्द में नहीं किया है इस फर्द के आधार पर जवाब दाता की खातेदारी भूमि में जबरन प्रार्थी काबिज होना चाहता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन एवं बेबुनियाद तथ्यों पर प्रस्तुत होने से सव्यय खारिज किये जाने का आदेश फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 20 ता 26 ने बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण एंव अप्रार्थी संख्या 19 ता 22 की खातेदारी भूमि की मुस्तकिल बिन्दु से पुनः पैमाईश की जाकर पैमाईश अनुसार पत्थरगढी किये जाने का आदेश फरमावे।

अधिवक्ता उभय पक्ष एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली उपलब्ध दस्तावेजीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, नक्सा ट्रेस एवं मौका फर्द, पैरोकार सरकार के जवाब एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 100 रकबा 8.7736 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 98/1 रकबा 7.4462 हैक्टेयर सरहद मौजा खिदरत पटवार हल्का कानसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी में स्थित है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का खातेदार है रेकर्डेड खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए खसरा नम्बर 100 रकबा 8.7736 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 98/1 रकबा 7.4462 हैक्टेयर भूमि की मुस्तकिल बिन्दु से पुनः पैमाईश कर की गई पैमाईश अनुसार पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दस्तावेजात से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

Saty...
उप खण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है कि सरहद मौजा खिदरत पटवार हल्का कानसिंह की सिड तहसील बाप जिला फलोदी खसरा नम्बर 100 रकबा 8.7736 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 98/1 रकबा 7.4462 हैक्टेयर भूमि की मुस्तकिल बिन्दु से पुनः पैमाईश कर की गई पैमाईश अनुसार पड़ोसी खातेदारों को सूचित करते हुवे पत्थरगढी किये जाने का आदेश तहसीलदार बाप को दिया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। प्रार्थी का उक्त वर्णित आराजीयात पर कब्जा नहीं होने की स्थिति में यह आदेश कब्जा सुपूर्दगी हेतु मान्य नहीं है। पत्रावली फैसल शुमार होकर, दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.12.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Satya...

(सत्य नारायण–I, R.A.S.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)